डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उनवान

महेन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादी)

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादी)

दावा बावत इस्तकरारहक (इन्द्राज दुरूस्ती)

मु0न0 09/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू, पैरोकार सरकार हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः वादी का दावा बावत इस्तकरारहक (नाम दुरूस्ती रिकार्ड जमाबन्दी) डिक्री किया जाकर ग्राम खोहरा की आराजी ख0न0 39/0.15, 47/0.18 कुल किता 2 कुल रकवा 0.33 है0 मे दर्ज नाम सोनू पुत्र कानसिह के स्थान पर महेन्द्रसिंह पुत्र कानसिह नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम राजस्व रिकार्ड मे अंकन करावे।

निज__________मुबलिंग______________बाबत______________खर्चा इस मुकदमे के अस सूद बशरह__________फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक........ अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17.03.2020 को जारी की गई।

उपजिला कलक्टर
दस्तखत टोडाभीम (करौली)
ओहदा..........................

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 09 / 2020

तारीख रजू– 04.02.2020

पीठासीन अधिकारी– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

महेन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादी)

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

दावा बाबत इस्लाहइन्दराज (प्रतिवादी)

उपस्थिति– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)

पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 17.03.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खोहरा की आराजी ख0न0 39/0.15, 47/0.18 कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 है0 की खातेदारी बहादुरसिंह, गोपालसिंह, सोनू पि. कानसिंह, छगन बेवा कानसिंह, ममता पुत्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी खोहरा के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी हमारे स्व0 पिता कानसिंह पुत्र बहादुरसिंह से विरासत मे मिली है उपरोक्त खातेदारी मे सोनू का नाम अशुद्ध दर्ज कर दिया है जबकि सही नाम महेन्द्रसिंह है यह विरासत नामांतकरण दौरान भूप्रबन्ध कर्मचारियो द्वारा भरा गया है। तथा सहायक भू प्रबन्ध कर्मचारियो के द्वारा तस्दीक किया गया है। इस नामान्तकरण की जानकारी वादी को नही थी। वादी महेन्द्रसिंह के राशनकार्ड, आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका, भामाशाह कार्ड मे नाम महेन्द्र पुत्र कानसिंह ही है। सोनू पुत्र कानसिंह नाम का कोई व्यक्ति खोहरा मे नही है। सोनू, महेन्द्र एक ही व्यक्ति है। भाईयो और माता को कोई आपत्ति नही है।

वादी पटवारी हल्का के पास दिनांक 29.7.2019 को के.सी.सी. की पत्रावली बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकल लेने गया तब पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर जानकारी हुई। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा सक्षम न्यायालय मे दुरूस्ती का दावा पेश करने की सलाह देने पर दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा डिक्री किया जाकर ग्राम खोहरा की आराजी ख0न0 39/0.15, 47/0.18 कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 है0 की खातेदारी मे दर्ज नाम सोनू के स्थान पर महेन्द्र सिंह दर्ज कर तहसीलदार टोडाभीम को आदेश फरमावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार टोडाभीम ने अपनी जॉच रिपोर्ट मे अंकित किया कि वर्णित आराजीयात मे भू–प्रबन्ध के दौरान वादी के पिता के फौत हो जाने पर वादी का नाम सोनू पुत्र कानसिंह रिकार्ड मे दर्ज हुआ है। सोनू एवं महेन्द्रसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। सोनू का सही नाम महेन्द्रसिंह है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

वादी की और से वादपत्र के समर्थन मे ग्राम खोहरा की नकल जमाबन्दी सम्वत 2041–44, 2056–59, नकल नामांतकरण संख्या 262 ग्राम खोहरा, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62, एवं राशनकार्ड संख्या 00762600749, आधार कार्ड न0 3691 4134 6072, भामाशाह कार्ड न0 YYCHDAS की छायाप्रतिया पेश की है, तथा समर्थन मे वादी के भाईयो गोपालसिंह, दशरथसिंह, माता छगनबाई के शपथ पत्र पेश किये है।

वादी वकील ने बहस प्रारम्भ करते हुये कथन किया कि सोनू एवं महेन्द्रसिंह एक ही व्यक्ति है। समस्त सरकारी दस्तावेजो मे महेन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह नाम दर्ज है। भाईयो एवं माता ने भी शपथ पत्र पेश किये है। तहसीलदार टोडाभीम से भी इसी आशय से भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अतः दावा डिक्री फरमाते हुये राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नाम सोनू पुत्र कानसिंह के स्थान पर महेन्द्र सिंह पुत्र कानसिह नाम दर्ज कराये जाने के आदेश फरमावें।

वादी वकील की बहस सुनकर मनन किया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। ग्राम खोहरा की जमाबन्दी सम्वत 2041–44 के खाता संख्या 43 मे दर्ज आराजी ख0न0 47 रकवा 12 बिस्वा, 51 रकवा 14 बिस्वा की खातेदारी कानसिंह पुत्र बहादुरसिंह कौम राजपूत निवासी ग्राम के नाम दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 के अनुसार साबिक ख0न0 47 रकवा 12 बिस्वा से नये नम्बर 39 रकवा 0.15 है0, साबिक ख0न0 51 रकवा 14 बिस्वा से नये नम्बर 47 रकवा 0.18 है0 बने है। दौराने भू प्रबन्ध कार्यवाही नामांतकरण संख्या 262 से खाता संख्या 43 की आराजीयात किता 2 के खातेदार कानसिंह पुत्र बहादुरसिंह के स्थान पर विरासत से दशरथसिंह, गोपालसिह, सोनू पि. कानसिंह, छगनबाई बेवा कानसिंह, ममता पुत्री कानसिंह हि.ब. जाति राजपूत के नाम खातेदारी स्वीकार हुई है। नामांतकरण के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2056–59 से लगातार खातेदारी मे सोनू पुत्र कानसिंह दर्ज चला आ रहा है। राशनकार्ड संख्या 00762600749, आधार कार्ड न0 3691 4134 6072, भामाशाह कार्ड न0 YYCHDAS मे महेन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह निवासी खोहरा दर्ज है। वादी के भाईयो दशरथसिंह और गोपालसिंह एवं माता छगनबाई ने भी शपथपत्र प्रस्तुत किये है कि आराजीयात विरासत मे मिली है खातेदारी मे सोनू नाम अशुद्व है सही नाम महेन्द्रसिंह है। सोनू व महेन्द्रसिंह एक ही व्यक्ति है सोनू के स्थान पर महेन्द्रसिंह करने मे कोई आपत्ति नही है। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे भी अंकित किया है कि वर्णित आराजीयात मे भू–प्रबन्ध के दौरान वादी के पिता के फौत हो जाने पर वादी का नाम सोनू पुत्र कानसिंह रिकार्ड मे दर्ज हुआ है। सोनू एवं महेन्द्रसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। सोनू का सही नाम महेन्द्रसिंह है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर सोनू पुत्र कानसिह के स्थान पर महेन्द्रसिंह पुत्र कानसिह दर्ज किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः वादी का दावा बावत इस्तकराररहक (नाम दुरूस्ती रिकार्ड जमाबन्दी) डिक्री किया जाकर ग्राम खोहरा की आराजी ख0न0 39/0.15, 47/0.18 कुल किता 2 कुल रकवा 0.33 है0 मे दर्ज नाम सोनू पुत्र कानसिह के स्थान पर महेन्द्रसिंह पुत्र कानसिह नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम राजस्व रिकार्ड मे अंकन करावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

17/3/2020
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.07.30 11:52:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: